

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं० :- 09/निधि-स्कीम (0102-सात निश्चय-2 सुलभ सम्पर्कता) 02-09/2025-

209(S)uelb

26/02/2026

पटना, दिनांक -

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय: मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-सात निश्चय-02 सुलभ सम्पर्कता, विपत्र कोड - 41-5054037890102, विषय शीर्ष-0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष-0102.53.02-भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ-7 में अंकित मॉग पत्र के आलोक में संबंधित प्रमंडलों / निगम को स्तम्भ सं०-5 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹10,41,56,000/- (दस करोड़ एकतालिस लाख छप्पन हजार रुपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित अंकित पथ प्रमंडलों / निगम को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं०-6 के अनुसार हो जायेगी।

- यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
- यह व्यय मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-सात निश्चय-02 सुलभ सम्पर्कता, विपत्र कोड - 41-5054037890102, विषय शीर्ष-0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष-0102.53.02-भू-अर्जन मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 227/ वि., दिनांक- 28.03.2025, पत्रांक-235 /वि. दिनांक-01.04.2025 एवं पत्रांक-191 /वि. दिनांक- 16.02.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
- आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं०- 6191 (एस) दिनांक-08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।
- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि में से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यापन दिनांक- 10.03.2026 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

